

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

मु.नं.:- 41/2024

तारीख रजू :- 01.05.2024

पीठारीन अधिकारी :- पूजा गीना आर.ए.एस.

- | | | |
|------------|--------------------|---|
| 1 शिवराम | } पि0 मांग्या | } |
| 2 लोहडेराम | | |
| 3 लोहडीबाई | } पुत्रीया मांग्या | |
| 4 केशूबाई | | |

जाति गीना
निवासी साकरवाडा
तह0 टोडाभीम
जिला गंगापुर सिटी राज0

वादीगण

ब्लाम

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. किशन्या पुत्र मांग्या | } |
| 2. हंसा पुत्र मांग्या | |
| 3. बनवारी पुत्र रामधन | |
| 4. जतीराम पुत्र रामधन | |
| 5. मु0 केसो पुत्री रामधन | |
| 6. मु0 छोटा पुत्री रामधन | |

समस्त जाति गीना,

निवासी मण्डेरु
तह0 टोडाभीम

जिला गंगापुर सिटी राज0

7. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक टोडाभीम जरिए मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक टोडाभीम तह0 टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी राज0
8. तहसीलदार तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

- उपस्थित :- 1 अभिभाषक वादी :- सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट
- 2 अभिभाषक प्रतिवादीगण की ओर - कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक-29/08/25

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0

रकबा 0.02 है0 ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 725 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 761

रकबा 0.22 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.35 है0 ग्राम मण्डेरु तह0 टोडाभीम में



उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

स्थित है। उक्त आराजी रेवेन्यू रिकार्ड में प्रतिवादी 1 ता 2 तथा प्रतिवादी नं0 3 ता 6 के पिता रामधन तथा मृतक धोली व मृतक झूती के नाम दर्ज रेवेन्यू रिकोर्ड में दर्ज है आराजीयात ख0नं0 712 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 725 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 761 रकबा 0.22 है0 सैटिलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा दौराने सैटिलमेन्ट साबिक ख0नं0 549 रकवा 17 विस्वा व 582/509 रकवा 10 विस्वा से बनाकर अंकित किया है। उक्त साबिक ख0नं0 549 रकवा 17 विस्वा व 582/509 रकवा 10 विस्वा वादीगण के पिता मांग्या पुत्र रामचंद मीना की खातेदारी व कब्जे काशत की आराजी थी जो जमाबन्दी सम्वत् 2035-2038 से भली प्रकार साबिक है।

वादीगण के पिता मांग्या पुत्र रामचंद थे जबकि प्रतिवादीगण के बुजुर्ग मांग्या पुत्र हरचंद था लेकिन रेवेन्यू कर्मचारियो पटवारी हल्का द्वारा वादीगण के पिता की आराजी जो जमाबन्दी सम्वत् 2035-2038 में ग्राम मण्डेरु में वादीगण ख0नं0 549 रकवा 17 विस्वा व 582/509 रकवा 10 विस्वा में वादीगण के पिता मांग्या पुत्र रामचंद के नाम थी मांग्या पुत्र हरचंद की विरासत खोलते समय वादीगण के पिता मांग्या पुत्र रामचंद के स्थान पर मांग्या पुत्र हरचंद करके प्रतिवादीगण के नाम विरासत का नामान्तरकरण संख्या 333 दिनांक 23.01.1983 को खोल कर खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम कर दी है जो बिल्कुल गलत की है उक्त आराजी वादीगण के पिता के नाम ही रही है तथा उक्त आराजी पर वादीगण हमेशा अपने पिता के जमाने से काबिज चले आ रहे है। तथा आज भी काबिज है। मगर रेवेन्यू कर्मचारियो द्वारा बिना किसी अधिकार के बिना न्यायालय के किसी आदेश के वादीगण के कब्जे व साबिक खातेदारी की भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज के करके खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम कर दी है। जो बमुकाबले वादीगण बोइड व प्रभावहीन है तथा वादीगण उक्त आराजी को अपने नाम कराने के मुस्तहक है। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नही है क्योकि वादीगण साबिक ख0नं0 549 रकवा 17 विस्वा व



582/509 रकबा 10 विरवा जिनके नवीन ख0नं0 712 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 725 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 761 रकबा 0.22 है0 पर जमाने पिता के काबिज है। तथा जहाँ पहले वे काबिज थे आज भी वही काबिज है। मगर राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादीगण के पिता की खातेदारी के स्थान पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी है। जिसे वादीगण अपने नाम कराने के वादीगण मुस्तहक है। आराजी विवादग्रस्त ख0नं0 ख0नं0 712 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 725 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 761 रकबा 0.22 है0 से प्रतिवादीगण 1 ता 5 का कोई संबंध कभी भी किसी भी प्रकार का आज दिन तक नहीं रहा है। लेकिन प्रतिवादी नं0 1 ता 5 महत्वाकांशी व्यक्ति है। जो वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने तथा रहन वय करने पर उत्तारू है।

बाका दिनांक 5:03:2024 को सुबह करीब 9 बजे का है कि वादीगण अपनी आराजी में खड़ी फसल की देख भाल कर रहा था कि प्रतिवादी नं0 1 ता 5 एकराय होकर आ गये तथा कहने लगे कि तुम्हारी इस खेत में आने की हिम्मत कैसे हुई। इस खेत हमने हमारे नाम करा लिया है। इस आराजी की फसल को हम दरोह करेगे इस पर वादीगण द्वारा उन्हें समझाया कि भाईयो तुम्हारा इस आराजी से कोई संबंध नहीं रहा है। उक्त आराजी हमेशा से हमारी थी तथा आज भी है। इस पर प्रतिवादी नं0 1 ता 5 द्वारा यह कहने पर उक्त भूमि जहाँ वादीगण काबिज है वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से खातेदारी कराने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने खातेदारी कराने से साफ इन्कार कर दिया इसलिये दावा पेश करना लाजमी हुआ है इसलिए हमारा दावा डिक्री कर आराजी ख0नं0 712 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 725 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 761 रकबा 0.22 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0:35 है0 ग्राम मण्डेरु तह0 टोडाभीम में से प्रतिवादीगण 1 ता 5 का नाम हजफ फरमाकर हमारे नाम खातेदारी की जावे तथा प्रतिवादीगण को पावंन्द फरमाया जावे कि



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करीली


वे हमारे कब्जे काशत की आराजी ख0नं0 712 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 725 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 761 रकबा 0.22 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.35 मजाहमत मदाखलत नही करे, हमको बेदखल नही करे स्वयं कब्जा नही करे, आराजी को रहन व्यय नही करे, आराजी को खुर्द बुर्द नही करे, आराजी को नाकाबिल काशत नही बनावे, मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपरिथत नही हुआ उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट तलब की गई।

मैने अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो दोहराते हुए वाद पत्र निवेदन किया कि आराजी विवादग्रस्त पूर्व में हमारे पिता मांग्या पुत्र रामचंद के नाम थी मांग्या पुत्र हरचंद की विरासत खोलते समय हमारे पिता मांग्या पुत्र रामचंद के स्थान पर मांग्या पुत्र हरचंद करके प्रतिवादीगण के नाम विरासत का नामान्तरकरण संख्या 333 दिनांक 23.01.1983 को खोल कर हमारे पिता की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम कर दी है जिसे हमारे नाम किया जावे मौके कब्जे का कोई विवाद नही है जमीन हमारे कब्जे में है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट से भी हमारे कब्जे तथा पूर्व में हमारे पिता के नाम खातेदारी साबित है इसलिए हमारा दावा डिक्री किया जावे।

मैने अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। जिसमें वादीगण के पिता मांग्या पुत्र रामचंद थे तथा प्रतिवादीगण के बुजुर्ग मांग्या पुत्र हरचंद थे जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमावंदी से साबित होता है लेकिन नामान्तरकरण खोलते समय वादीगण के पिता की आराजी को




 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 टोडाभीम, जिला-करीली

मांग्या पुत्र रामचंद के स्थान पर मांग्या पुत्र हरचंद अंकित कर दिया है जो तहसीलदार की रिपोर्ट से भी भली भाति साबित है इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

आराजी ख0नं0 712 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 725 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 761 रकबा 0.22 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.35 है0 ग्राम मण्डेरु तह0 टोडाभीम में दर्ज खातेदार प्रतिवादी नं0 1 व 2, 3ता 6 के पिता रामधन, प्रतिवादी नं0 1 व 2 की माता झूती पत्नि मांग्या एवं बहिन धौली पुत्री मांग्या का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/08/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया



Pi

(पूजा मीना)

उपखण्ड न्यायाधीश एवं न्याय सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करीली